भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय खेल प्राधिकरण
(राजभाषा प्रभाग)

फा.सं. भाखेप्रा/रा.भा./3054/2024-25/ 442 **दिनांक: 12.09.2025**

परिपत्र

विषय: सरकारी कामकाज में मूल हिंदी टिप्पण / आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना (वित्त वर्ष 2024-25)

राजभाषा विभाग के दिनांक 16.02.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/12013/3/87-रा.भा. (क.2) के अनुपालन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से प्राप्त पत्र **"मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना"** आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

सभी क्षेत्रीय केंद्रों /शैक्षणिक संस्थानो के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भारतीय खेल प्राधिकरण में राजभाषा में अधिकाधिक कार्य करने के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मूल हिंदी टिप्पण / आलेखन प्रोत्साहन योजना (वित्त वर्ष 2024-25) अपने कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करें तथा इस पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए इसकी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट राजभाषा प्रभाग, मुख्य कार्यालय को प्रेषित करें। प्रोत्साहन योजना से संबंधित नियम व शर्तें इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

इसे सचिव, भाखेप्रा के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(डॉ. गीता पाराशर)
निदेशक/प्रभारी (राजभाषा)

संलग्नक: यथा उपरोक्त

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय केंद्रों/शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख — अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस सूचना से अवगत कराएं।
2. उपनिदेशक (रा.भा.) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. मास्टर फाइल

Gmail

राजभाषा प्रभाग <rajbhasha.saiho@gmail.com>

प्रोत्साहन yojana का परिपत्र

1 message

hindi section <hindisection2013@gmail.com>
To: rajbhasha division <rajbhasha.saiho@gmail.com>

Thu, Sep 11, 2025 at 11:37 AM

कृपया संलग्न परिपत्र प्राप्त करें

3 attachments

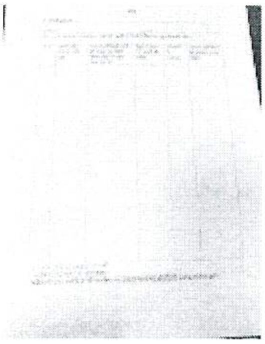

IMG_3451.jpeg
796K

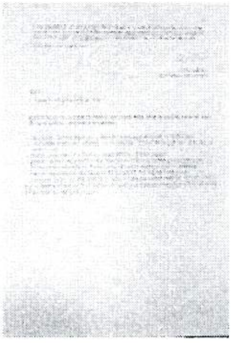

IMG_3450.jpeg
1178K

IMG_3449.jpeg
1309K

भारतीय खेल प्राधिकरण
Sports Authority of India
प्राप्ति सं. / Diary No. 198
11/09/25
राजभाषा प्रभाग
Official Language Division

11/9/25

11/9/25

सं ई. 11016/1/2023-हिंदी
भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 06 जून, 2025

परिपत्र

विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिंदी टिप्पण/ आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना (वित्त वर्ष 2024-2025)

राजभाषा विभाग के दिनांक 16.02.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) के अनुपालन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान भी सरकारी कामकाज में मूल हिंदी टिप्पण/ आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है :

1. पात्रता

(क) इस योजना में कार्यालय के सभी श्रेणियों के वे अधिकारी / कर्मचारी भाग ले सकते हैं जिनसे सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण/ आलेखन की आशा की जाती है । इस योजना के अंतर्गत वे अधिकारी / कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे जो एक वर्ष में 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में 10 हजार शब्द हिंदी में लिखेंगे ।

(ख) आशुलिपिक/ टंकक जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, तथा हिंदी कार्य से जुड़े स्टाफ सदस्य तथा हिंदी अधिकारी एवं हिंदी अनुवादक जो सामान्यत: अपना कार्य हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

2. योजना की अवधि

योजना की अवधि वित्त वर्ष 2024-2025 अर्थात 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 होगी ।

3. पुरस्कारों की संख्या एवं राशि

मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए :

प्रथम पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	5000/- रु. प्रत्येक
द्वितीय पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	3000/- रु. प्रत्येक
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	2000/- रु. प्रत्येक

कुल पुरस्कारों की संख्या: दस

4. कम्प्यूटर पर हिंदी में किए गए कार्य को भी शब्दों की संख्या के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाएगा अर्थात जो अधिकारी/ कर्मचारी कम्प्यूटर पर मूल रूप से हिंदी में कार्य करते हैं उनके कार्य विवरण को भी इस प्रतियोगिता में शामिल करने का निर्णय लिया गया है ।

5. इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक मंत्रालय के अधिकारी/ कर्मचारी उनके द्वारा मूल रूप से 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक हिंदी में किए गए कार्य का विवरण निर्धारित प्रपत्र में अपने शाखा अधिकारी के माध्यम से हिंदी अनुभाग को **15 जून, 2025** तक अवश्य भिजवा दें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके ।

संलग्न: रिकार्ड रखने संबंधी प्रपत्र

(योगेश मल्होत्रा)
उप निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

1. मंत्रालय के सभी एकक/अनुभाग/ डेस्क ।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उपरोक्त योजना को अपने और अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करवाएं :-

1. महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, 4-जीवनदीप बिल्डिंग, भूतल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम परिसर, (पूर्वी द्वार), लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3. निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, शिवाजी स्टेडियम, नई दिल्ली-110001
4. कुलपति, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002 (मध्य प्रदेश)
5. निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, बीमानथंगल, श्रीपेरुम्बुदूर-602105 (तमिलनाडु)
6. निदेशक, मिशन निदेशालय-खेल विकास, प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7. महानिदेशक, राष्ट्रीय डोप-रोधी एजेंसी (नाडा), ब्लाक-'ए' प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
8. प्रधान वैज्ञानिक निदेशक, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम कॉम्पलेक्स, पूर्वी द्वार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..

पदनाम .... अनुभाग..

द्वारा 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में हिंदी में किए गए मूल कार्य का ब्यौरा:

क्र.सं.	अवधि प्रति सप्ताह/ प्रति माह	फाइलों/रजिस्टरों आदि की संख्या एवं विवरण जिनमें हिंदी में कार्य किया गया है	हिंदी में लिखे गए शब्दों की संख्या	प्रतियोगी के हस्ताक्षर	नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि में हिंदी शब्दों की कुल संख्या=

*प्रतियोगी उक्त अवधि के दौरान किए गए समस्त कार्य की फोटोप्रति अवश्य संलग्न करें।